:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बर:– 26/21

निर्णय दिनांक:–26.10.2021

1. श्री पुंजा पिता हरजी ताबियाड जाति भील निवासी भचडिया जगतान तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

वादी

बनाम

1. श्री काला पिता हरजी भील निवासी भचडिया जगतान तहसील चिखली
2. श्री वरसेंग पिता हरजी जाति भील निवासी भचडिया जगतान
3. श्री चम्पा पिता हरजी जाति भील निवासी भचडिया जगतान
4. श्री शंकर पिता हरजी जाति भील निवासी लिमडिया तहसील गलियाकोट
5. श्रीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी चिखली तहसील चिखली।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर गांव भचडिया जगतान के स्थायी निवासी है। प्रतिवादी संख्या 4 गावं लिमडिया तहसील गलियाकोट के स्थायी निवासी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुलपुरूष हरजी के विधिक वारिसान है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

हरजी फोत
⇩

⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
काला	वरसेंग	चम्पा	शंकर	पुंजा	भुरिया लाओलाद फोत

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त विरासती की संयुक्त विरासती आराजी ग्राम भचडिया जगतान में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 खेत किता 19 कुल रकबा 5.5985 है0 होकर स्थित है।

यह कि आज से एक सप्ताह पूर्व वादी कॉलम संख्या 2 में अंकित अपने कब्जे काश्त की आराजी में कामकाज कर रहा था। उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कुछ अन्य व्यक्तियों क साथ मिलकर कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी पर आए और वादग्रस्त आराजी को बेचने की बात करने लगे। जिस पर वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के हक एवं अधिकार की होने से बेचने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी को कहने लगे की उक्त आराजी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में कही तुम्हारा नाम दर्ज नहीं है। उक्त कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी को हम किसे भी विक्रय करे तो तुम्हे कोई अजर झंगडा करने हक व अधिकारी नहीं है। जिस पर वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी नकल निकलवाई तो पला चला कि नकल में हरजी के चार पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादी पटवारी से मिलकर खोले नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

वादी ने भु–प्रबन्ध सेटलमेंट की नकल निकलवाई तो सेटलमेंट कर्मियों द्वारा गलती से हरजी के 6 विधिक वारिसानों में वादी का नाम छोडकर प्रतिवादीगण व भुरिया के नाम दर्ज किया गया है। जिसमें भुरिया लाओलाद फोत होने व हरजी की पत्नि की पूर्व में ही मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है। नियमानुसार सेटलमेंट कर्मियों को हरजी के फोत हो जाने पर प्रतिवादीगण लाओलाद फोत पुत्र भुरिया के साथ वादी का नाम दर्ज किया जाना था जिस पर वादी द्वारा पटवारी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कराने की बात की तो दूरूस्त करने से मना कर दिया है। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 से इन्द्राज दुरूस्ती करने की बात की गई लेकिन इन्द्राज दुरूस्ती करने से मना कर दिया गया जिससे वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो मयाद अवधि पेश है।

यह कि वादग्रस्त आराजी संवत 2022 सेटलमेंट जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर रखी है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी के पिता हरजी के नाम सेटलमेंट के पूर्व से दर्ज थी। हरजी की मृत्यु के पश्चात सेटलमेंट कर्मियों द्वारा नियम व विधि विरूद्ध वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में नहीं जोडकर लापरवाही बरती गई है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेद्याज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि वादी को ग्राम भचडिया जगतान में खाता संख्या 10, खसरा नम्बर 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 खेत किता 19 कुल रकबा 5.5985 है0 में वादी की खातेदारी विरासती आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा किसी अन्य को विक्रय, बक्षीस, रहन, नहीं करें। व प्रतिवादी संख्या 5 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तांतरित माना जावें।

इस पर पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत भचडिया खास में दिनांक 26.10.2021 को लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत हुई। समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वीकार किया गया कि वादी श्री पूंजा पिता हरजी ताबियाड प्रतिवादीगण का सगा छोटा भाई है एवं भूलवश छोटे भाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं जूड पाया। प्रकरण में सहमति होने से निषेद्याज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाकर ग्राम भचडिया जगतान के खाता संख्या 10, खसरा नम्बर 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 किता 19 कुल रकबा 5.5985 है0 में वादी श्री पुंजा पिता हरजी ताबियाड को बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

आदेश

ग्राम भचडिया जगतान के खाता संख्या 10, खसरा नम्बर 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 किता 19 कुल रकबा 5.5985 है0 में वादी श्री पूंजा पिता हरजी को बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

श्रीकांत व्यास
उपखंड अधिकारी
चिखली

आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीकांत व्यास
उपखंड अधिकारी
चिखली